पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), ई–मेल : academicprsu2@gmail.com

क्रमांक : 2707/अका.का.प./2020 रायपुर, दिनाँक 25.03.2020

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की इंकावनवीं बैठक, बुधवार, दिनाँक 25.03.2020 को अपराह्न 03:30 बजे, कुलपति सचिवालय के बैठक–कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए –

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष

1.	डॉ. (श्रीमती) माया वर्मा – सदस्य		5.	डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल – सदस्य	
2.	डॉ. संजय कुमार – सदस्य		6.	श्री राजेश कुमार सिसोदिया – सदस्य	
3.	डॉ. देवेन्द्र कुमार वर्मा – सदस्य		7.	डॉ. (श्रीमती) राजलक्ष्मी सेलट – सदस्य	
4.	डॉ. भजन सिंह छाबड़ा – सदस्य		8.	डॉ. (श्रीमती) प्रोमिला सिंह – सदस्य	

डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, कुलसचिव – सचिव

---

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 14.02.2020 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : सम्पुष्टि प्रदान की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 14.02.2020 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

<u>वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

3. वित्तीय सत्र् 2018–19 का वास्तविक आय–व्यय पुनरीक्षित आय–व्यय पत्रक एवं 2020–21 का अनुमानित आय–व्यय पत्रक के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

4. वार्षिक परीक्षा केन्द्रों को वार्षिक परीक्षा 2019–20 के लिए परीक्षा केन्द्र अग्रिम राशि रूपये–1,41,15000/– (अक्षरी रूपये–एक करोड़ इकतालीस लाख पन्द्रह हजार मात्र) भुगतान किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णय : वार्षिक परीक्षा केन्द्रों को वार्षिक परीक्षा 2019–20 के लिए परीक्षा केन्द्र अग्रिम राशि रूपये–1,41,15000/– (अक्षरी रूपये–एक करोड़ इकतालीस लाख पन्द्रह हजार मात्र) भुगतान किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

5. अंकेक्षण शुल्क की राशि रूपये–21,37,148/–(अक्षरी रूपये–ईक्कीस लाख सैंतीस हजार एक सौ अड़तालीस मात्र) का भुगतान किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णय : वित्तीय सत्र् 2013–14 के अंकेक्षण शुल्क की राशि–21,37,148/– रूपये (अक्षरी रूपये–ईक्कीस लाख सैंतीस हजार एक सौ अड़तालीस मात्र) भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

जैविकी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

6. SERB परियोजना के अंतर्गत् जैविकी अध्ययनशाला के लिए उपकरण क्रय किए जाने हेतु राशि रूपये–14,07,000/– (अक्षरी रूपये–चौदह लाख सात हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णय : आगामी बैठक में विचारार्थ पुनः प्रस्तुत करना है।

मूल विज्ञान केन्द्र से प्राप्त प्रस्ताव :–

7. मूल विज्ञान केन्द्र हेतु उपकरण क्रय किये जाने हेतु राशि रूपये–13,92,865/–(तेरह लाख बियानबे हजार आठ सौ पैंसठ मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णय : आगामी बैठक में विचारार्थ पुनः प्रस्तुत करना है।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण से प्राप्त प्रस्ताव :–

8. मेसर्स आदर्श किराया भण्डार के देयक राशि के भुगतान हेतु राशि रूपये–12,15,525/(अक्षरी रूपये–बारह लाख पन्द्रह हजार पाँच सौ पच्चीस मात्र) भुगतान किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णयः आगामी बैठक में विचारार्थ पुनः प्रस्तुत करना है।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

9. विश्वविद्यालय के उपयोग हेतु स्टेशनरी क्रय किये जाने हेतु राशि रूपये–23,17,388/– (अक्षरी रूपये–तेईस लाख सत्रह हजार तीन सौ अठासी मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय के उपयोग हेतु स्टेशनरी क्रय किये जाने हेतु राशि रूपये–23,17,388/– (अक्षरी रूपये–तेईस लाख सत्रह हजार तीन सौ अठासी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

10. श्रीमती प्रोमिला गोकुल दास डागा कन्या महाविद्यालय रायपुर के प्रबंधन हेतु कलेक्टर जिला–रायपुर को प्रशासक नियुक्त किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

11. डॉ. (श्रीमती) स्मिता शर्मा, सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी–मूल विज्ञान केन्द्र पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उनके पद पर स्थायीकरण किये जाने पर विचार करना।

निर्णयः आगामी बैठक में विचारार्थ पुनः प्रस्तुत करना है।

कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :—

12. विश्वविद्यालय सर्वर रूम में स्थित सर्वरों की वार्षिक रख—रखाव (AMC), एक वर्ष की वृद्धि (दिनाँक 13.03.2020 से 12.03.2021 तक) करने एवं 100 (सौ) नग एंटी वायरस क्रय कर राशि रूपये—8,17,200/— (अक्षरी रूपये—आठ लाख सत्रह हजार दो सौ मात्र) की भुगतान करने प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय सर्वर रूम में स्थित सर्वरों की वार्षिक रख—रखाव (AMC), एक वर्ष की वृद्धि (दिनाँक 13.03.2020 से 12.03.2021 तक) करने एवं 100 (सौ) नग एंटी वायरस क्रय कर राशि रूपये—8,17,200/— (अक्षरी रूपये—आठ लाख सत्रह हजार दो सौ मात्र) की भुगतान करने प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय :—

1. उपाधि अधिसूचना का अनुमोदन करना।

निर्णय : दिनांक 20.12.2019 से 20.2.2020 तक कुल 26 शोधार्थियों (अधिसूचना क्रमांक 3366 से 3390 तक) के **निम्नलिखित विषयांतर्गत् पी.एच.—डी. अधिसूचना निर्गमित की जा चुकी है :—**

कला संकाय—अंग्रेजी—01, दर्शनशास्त्र—01,**सामाजिक विज्ञान संकाय**—राजनीति विज्ञान—03, मनोविज्ञान—03, **विज्ञान संकाय**—रसायन—02, भूगोल—01, गणित—01, **वाणिज्य संकाय**—वाणिज्य—01, **जीव विज्ञान संकाय**—बायोटेक्नोलॉजी—01,प्राणीशास्त्र—01, मानवविज्ञान—02, बायोसाइंस—01, **इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी**—कम्प्यूटर विज्ञान—01, **विधि संकाय**—विधि—01, **शिक्षा संकाय**—शिक्षा—02, **शारीरिक शिक्षा संकाय**—शारीरिक शिक्षा—02।

2. धारणाधिकार अवधि में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

निर्णयः राजभवन का आदेश क्रमांक एफ 1—5/2019/रास/यू—6 दिनांक 03.02.2020 के द्वारा डॉ. बंशगोपाल सिंह, प्रोफेसर, मनोविज्ञान अध्ययनशाला को कुलपति, पं. सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर नियुक्त किये जाने के परिपालन में दिनांक 03.03.2020 से 31.10.2024 तक धारणाधिकार में वृद्धि किये जाने का अनुमोदन किया गया।

3. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम बी.एड. एवं एम.एड. के शिक्षण शुल्क निर्धारण बाबत्।

निर्णयः अध्यापक शिक्षा संस्थान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में संचालित स्व—वित्तीय पाठ्यक्रम बी.एड. एवं एम.एड. के लिए छ.ग. शासन स्कूली शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 6—58/2016/20—3 अटल नगर दिनांक 31.05.2019 की अनुशंसानुसार छ.ग. निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम—2008 की धारा—9 (1) एवं (2) के प्रावधानों के अंतर्गत् बी.एड. शिक्षण शुल्क रूपये—31,000/— तथा एम.एड़. शिक्षण शुल्क रूपये—50,000/—प्रतिवर्ष नियत करने का प्रस्ताव के अनुमोदन किया गया।

4. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25.03.2020 की कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 2708 / अका.का.प. / 2020 रायपुर, दिनांक 25.03.2020

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर
2. संचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
4. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला / समस्त विभागीय अधिकारी
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् / जनसम्पर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
7. वित्त नियंत्रक / प्रभारी अंकेक्षण
8. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

25.3.20
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

- नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) से बचने के लिए केन्द्र और राज्य शासन द्वारा दिये जा रहे दिशा–निर्देशों का पालन करें।
- नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) से खुद बचें तथा औरों को बचायें।